128

न्यायालय माननीय म,प्र, राजस्व मण्डल ग्वालियर म,प्र,

प्रकरण कमांक /2017 पुनरीक्षण

आवेदक — लालाराम पुत्र छीतू जाति शाक्य व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम बेनीपुरा तहसील सवलगढ जिला मुरैना म,प्र,

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3421

बनाम

अनावेदकगण — 1—म,प्र,शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर मुरैना म,प्र,

2—तहसीलदार , तहसील सवलगढ जिला मुरैना

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म,प्र, भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्व अपर आयुक्त संम्वल संभाग मुरैना के पीठासीन अधिकारी श्री आर,बी,प्रजापति द्वारा प्रकरण कमांक 213—2015—16 अपील लालाराम विरूद्व म,प्र, शासन में पारित आदेश दिनांकी 20,06,17 जिसके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला मुरैना द्वारा प्र,क,45/2013—14 अपील में पारित आदेश दिनांकी 19,08,2014 को यथावत रखा जाकर तहसीलदार सवलगढ द्वारा प्र,क,79/2012—13/अ में पारित आदेश दिंनाकी 18,02,14 को यथावत रखा गया हे। जिससे दुखित होकर यह यह यांचिका प्रस्तुत है।

माननीय ,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

1— प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य —

यह कि पटवारी हल्का नम्बर 54 तिनदोली सबलगढ के मंदिर से लगी भूमि सर्वे कमांक 602 रकवा 0,56 आरे पर आवेदक को अतिकामक मान्य करते हुये बेजा कब्जा किये जाने पर विचारण न्यायालय तहसीलदार सवलगढ द्वारा प्रकरण कमांक 79/2012—13/अ—88 दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 18,02,2014 से आवेदक को उक्त भूमि से बेदखल कर रूप्ये 20,000/—का अर्थदण्ड से आरोपित किया गया तथा आरोपित अर्थदण्ड जमा नही किये जाने पर म,प्र,भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत सिविल जेल की कार्यवाही प्रतावित कर प्रकरण अधिनिस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग सबलगढ जिला मुरैना को भेजा ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा0/2017/3421

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-10-2017	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 213/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-6-17 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विवादित भूमि पर आवेदकगण पूर्वजों के जमाने से खेती करते चले आ रहे हैं एंव पिता से यह भूमि विरासत में प्राप्त है जिसके कारण वह अतिकामक नहीं है अपितु भूल से भूमि पर शासन अंकित हो गया है मौके पर आवेदक की गेहूँ की फसल खड़ी है, परन्तु तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर विचार न करने में भूल की है। भूमि पूर्वजों से प्राप्त होने के कारण आवेदक का विवादित भूमि पर स्वत्व है जिसके कारण निगरानी सुनवाई में ग्राह्य की जावे। 4/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि शासकीय अभिलेख में पटवारी हलका नंबर 54 ग्राम तिन्दोली तहसील सवलगढ़ स्थित भूमि स0क्र0 602 रकबा 0.56 आरे मंदिर श्री राधाकृष्ण जी देवस्थानी होकर प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज है इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 20-6-17 के पद 4 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है –	

" अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग सवलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-8-2014 में उल्लेख किया है कि यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि भूमि मंदिर की होकर औकाफ विभाग की है जिसके प्रबंधक कलेक्टर मुरैना है। देवस्थानों की भूमि देवस्थानों की सेवा पूजा एंव देखरेख के लिये लगाई गई है किन्तु अपीलांट के आधिपत्य के चलते भूमि का उपयोग देवस्थान के हित में नहीं हो रहा है इस प्रकार मौजा सिन्दोली की भूमि स0क0 602 रकबा 0.56 आरे पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा प्रमाणित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको बेदखल कर और अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कोई भूल नहीं की गई है "।

स्पष्ट है कि आवेदकगण मंदिर श्री राधाकृष्ण जी की भूमि प्रबंधक कलेक्टर पर बेजा कब्जा किये हुये हैं एंव बेजा कब्जा प्रमाणित होने के आधार पर आवेदक पर अर्थदण्ड की कायमी एंव बेदखली के आदेश हुये है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने तहसीलदार सवलगढ़ के आदेश 18-2-2014 में निकाले गये निष्कर्षो को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश न होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य